प्रेस विज्ञप्ति

06.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 16(3) के तहत 20,56,55,909 रुपये के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। विद्वान न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इस मामले में पूछताछ विश्वसनीय जानकारी के आधार पर शुरू की गई थी कि एरोल फर्नांडीस **(फर्न्स एस्टेट्स एंड डेवलपर्स के प्रमोटर)** ने 2017 से 2024 की अवधि के दौरान फेमा, 1999 के प्रावधानों का महत्वपूर्ण उल्लंघन किया है।

1999 के फेमा के प्रावधानों के तहत ईडी की जाँच से पता चला कि एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों ने 20,56,55,909 रुपये विदेश भेजे थे। जाँच से पता चला कि एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों ने एलआरएस के तहत निवेश के लिए 3,67,84,899 रुपये भेजे थे, हालाँकि, निवेश के प्रतिदान पर, राशि विदेश में स्थित खातों में रखी गई और बहुत देरी से भारत वापस भेजी गई।

इसके अलावा, जाँच से पता चला कि एलआरएस के तहत परिवार के भरण-पोषण के लिए उनके द्वारा 16,88,71,010 रुपये भेजे गए थे, हालाँकि, जाँच से पता चला कि उस अवधि के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार विदेश में नहीं रह रहा था और परिवार के ***भरण-पोषण*** के लिए भारत से बाहर ले जाए गए धन का उपयोग भारत के बाहर ***निवेश*** के लिए भी किया गया था। निवेश के प्रतिदान पर, राशि विदेश में स्थित खातों में रखी गई और बहुत देरी से भारत वापस भेजी गई।